<u>उत्तर प्रदेश शासन</u>
<u>पर्यटन अनुभाग</u>
संख्या-83/2023 /712/41-2023-213(बजट)/2021
लखनऊ दिनांक 10 फरवरी, 2023

<u>संख्या-68/2023/237/001-41-2023-213</u> budget **<u>2021, दिनांक 02 फरवरी, 2023</u>**

<u>का शुद्धि पत्र</u>

महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 8296/6-1-1(1334)/2022-23 दिनांक 03 फरवरी, 2023 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में जनपद वाराणसी के ग्राम कैथी में गंगा नदी के किनारे पर मारकण्डेय घाट से संगम घाट तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य की तृतीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी जारी शासनादेश संख्या-68/2023/237/001-41-2023-213-**budget-**2021, दिनांक 02 फरवरी, 2023 के पृष्ठांकन बिन्दु सं0-05 में मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ के स्थान पर मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी एततद्वारा अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 02 फरवरी, 2023 संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(रामेश्वर सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ**0**प्र**0**, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ**0**प्र**0**, प्रयागराज।
3- महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, वाराणसी।
5- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी।
6- श्री दिनेश कुमार, उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, वाराणसी।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-**7** ।
10- उप निदेशक,पर्यटन वाराणसी/क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, वाराणसी मण्डल।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(रामेश्वर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in